पौडी

(60)

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांकः 2205 / FP/UK/ROAD/9770/2015 दिनॉकःदेहरादूनः 13 फरवरी, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर मध्य–क्षेत्र)
25, सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय– जनपद–पौड़ी गढ़वाल में सिलोगी–घनसाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/9770/2015)

सन्दर्भ:–भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी/यूसीपी/06/23/2016/एफ0सी0/1121 दिनांक 26–09–2017

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार के पत्रांक 2024/12–1 दिनांक 22–01–2019 (प्रति संलग्न) द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दुगने अवनत वन भूमि 3.06 है0 ग्राम–कडथी, पट्टी–मल्ला ढांगू, तहसील–लैन्सडौनं सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 7,75,196.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जिलाधिकारी, जनपद–पौड़ी के पत्रांक 2417/26–प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2018 दिनांक 13–07–2018 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–कड़थी सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया गया है। ग्राम–कड़थी सिविल सोयम भूमि के म्यूटेशन किये गये अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 12,92,850.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार जमा की गयी कुल धनराशि रू0 20,68,046.00 के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण हेतु धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वरा जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–4)**
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Sub level committee meeting and village under FRA 2006 ऑनलाईन के पैरा–K पार्ट–1 पर अपलोड कर दी गयी है उक्त प्रपत्रों की हार्ड प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–5)**
7. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा एन0पी0वी0 की संशोधित दर का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–6)**
8. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा geo-referenced map and digital map की हार्ड प्रति संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। **(संलग्नक–7)**
9. शर्त संख्या–9 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Kml file ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है, उक्त की हार्ड प्रति संलग्न–7 के अनुसार है।

10. शर्त संख्या–10 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सूचित किया गया है कि ऑनलाईन पैरा–14 में ऑनलाईन संशोधन कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति/शासनादेश निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्याः– 2203 /FP/UK/ROAD/9770/2015 दिनॉकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन, गढ़वाल।

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

Desktop\S daily work